

अनुलग्नक-III

शिकायत के निवारण के लिये विद्युत लोकपाल को आवेदन

दिनांक

सेवा में,

विद्युत लोकपाल

(पूरा पता निर्दिष्ट करें)

प्रिय महोदय/महोदया

विषय :- (उस फोरम के आदेश का उल्लेख करें जिसके विरुद्ध विद्युत लोकपाल को अभ्यावेदन किया जा रहा है)

शिकायत के विवरण निम्नानुसार है:

1. शिकायतकर्ता का नाम..... :

2. शिकायतकर्ता का पूरा पता..... :

पिन कोड..... :

फोन नम्बर/मोबाइल नम्बर..... :

ई-मेल आईडी..... :

3. कनेक्शन की प्रकृति और उपभोक्ता संख्या (कनेक्शन के लिये आवेदन करने के मामले में, आवेदन संख्या दें)

4. वितरण अनुज्ञप्तिधारी..... :

5. फोरम का नाम और पता..... :

6. शिकायतकर्ता द्वारा फोरम में शिकायत प्रस्तुत करने की तारीख (कृपया शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की एक प्रति संलग्न करें):

.....
.....

7. अभ्यावेदन का विवरण, तथ्य जिनके कारण अभ्यावेदन किया जा रहा है (यदि पर्याप्त स्थान नहीं हैं तो कृपया अलग शीट संलग्न करें):

.....
.....
.....
.....

8. क्या उपभोक्ता को फोरम का अंतिम निर्णय प्राप्त हो गया है (यदि हाँ, तो कृपया इसके अंतिम निर्णय को व्यक्त करते हुये फोरम के आदेश की प्रति संलग्न करें):

.....
.....
.....
.....

9. विद्युत लोकपाल से मांगी गई राहत की प्रकृति:

.....
.....
.....

10. संलग्न दस्तावेजों की सूची (कृपया सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की तीन प्रतियां संलग्न करें जो शिकायत को पैदा करने वाले तथ्यों का समर्थन करते हैं)

.....
.....

11. घोषणा

क) मैं/हम, शिकायतकर्ता घोषणा करता हूँ/करते हैं कि:

i) इसमें ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है; तथा

ii) मैंने/हमने ऊपर वर्णित कथित कथनों और इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी तथ्य को न तो छुपाया है न ही गलत ढंग से प्रस्तुत किया है।

ख) मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार मेरे द्वारा/या हम में से किसी के द्वारा या विषय-वस्तु से संबंधित किसी भी पक्ष द्वारा वर्तमान शिकायत की विषय-वस्तु कभी भी फोरम को प्रस्तुत नहीं की गयी है।

ग) मेरी/हमारी शिकायत की विषय-वस्तु को किसी भी पिछली कार्यवाही में फोरम के माध्यम से सुलझाया नहीं गया है।

घ) मेरी/हमारी शिकायत की विषय-वस्तु को किसी भी सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय/मध्यस्थ द्वारा निर्णीत नहीं किया गया है, और इस तरह के किसी भी प्राधिकारी/अदालत/मध्यस्थ के समक्ष लंबित नहीं है।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(ब्लॉक लेटर्स में शिकायतकर्ता का नाम)

नामकरण - (यदि शिकायतकर्ता अपने प्रतिनिधि को फोरम के समक्ष अपनी ओर से उपस्थित होने और निवेदन करने के लिये नामित करना चाहता है, तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिये।)

मैं/हम उपर्युक्त नामित उपभोक्ता एतद्वारा श्री/श्रीमतीजिसका पताहै को कार्यवाही में यथा मेरा/हमारा प्रतिनिधि नामित करता हूँ/करते हैं, और पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि उसके द्वारा किये गये कोई भी बयान, स्वीकृति या अस्वीकृति मेरे/हमारे लिये बाध्यकारी होगी। उसने मेरी/हमारी उपस्थिति में नीचे हस्ताक्षर किये हैं।

स्वीकार किया
(प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)
(शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर)

अनुलग्नक-IV

विद्युत लोकपाल द्वारा त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये प्रपत्र

क्र. सं.	सीजीआर एफ	अभ्यावेदन			अभ्यावेदनों का निस्तारण किया				तिमा ही के अन्त पर लम्बित	तिमाही में अभ्यावेदनों का निस्तारण किया	45दिनों के पश्चात् अभ्यावेदनों का निस्तारण किया, संक्षेप में कारण दिजिये	तिमा ही में बैठकों की संख्या
		तिमाही के शुरू में लम्बित	तिमा ही के दौरान प्राप्त	योग	अपीलार्थी के पक्ष में	अनुज्ञप्तिधारी के पक्ष में	अन्य	योग				

RAJASTHAN ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Jaipur, 05.04.2021

No. RERC/Secy/Reg. 143 In exercise of the powers conferred on it by sub-sections (r) and (s) of Section 181 read with sub-sections (5) to (7) of section 42 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission, after previous publication, hereby makes the following Regulations related to Consumer Grievance Redressal Forum, Electricity Ombudsman and Consumer Advocacy.

**Chapter-1
Preliminary**